न्यायालय न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट, नागौर

बइजलास – मनोज कुमार, आर0ए0एस0

परिवाद संख्या – 39/2019

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कम अभिहित अधिकारी, नागौर		1छगनलाल अग्रवाल पुत्र हरिराम जाति अग्रवाल निवासी बाजरवाडा चौक, नागौर। फर्म–मैसर्स हरिराम भुजियावाला, 1 इण्डस्ट्रीयल एरिया, बासनी रोड, नागौर। 2 फर्म–मैसर्स हरिराम भुजियावाला, 1 इण्डस्ट्रीयल एरिया, बासनी रोड, नागौर।

आदेश

दिनांक : 17.01.2020

1. प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर द्वारा परिवाद प्रस्तुत किया गया कि दिनांक 11-04-2019 को मैसर्स हरिराम भुजियावाला, 1 इण्डस्ट्रीयल एरिया, बासनी रोड, नागौर पर खाद्य पदार्थ भुजिया (अमित ब्राण्ड) में मिलावट का शक होने पर नमूना वास्ते जांच लिया जाकर सीरीयल कोड नं. क्यू 1127 अंकित किया गया। उक्त नमूने की जांच खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जोधपुर से करवायी गयी। जिनकी जांच रिपोर्ट क्रमांक एलएस 325/एक्ट/2019/379 दिनांक 09.05.2019 के द्वारा प्रार्थी द्वारा लिया गया नमूना भुजिया (अमित ब्राण्ड) मिस–ब्राण्डेड होना पाया गया। उक्त जांच रिपोर्ट के अनुसार अभियुक्तगण छगनलाल अग्रवाल पुत्र हरिराम जाति अग्रवाल निवासी बाजरवाडा चौक, नागौर तथा फर्म–मैसर्स हरिराम भुजियावाला, 1 इण्डस्ट्रीयल एरिया, बासनी रोड, नागौर ने एफ.एस.एस.ए. 2006 की धारा 26 उप धारा (2)(ii) का उल्लंधन किया है, जो कि एफ.एस.एस.ए.2006 की धारा 52 के तहत जुर्माना योग्य अपराध होने से अप्रार्थीगण को जुर्माने से दण्डित किए जाने हेतु निवेदन किया गया।

2. खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा यह परिवाद दिनांक 01-08-2019 को इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है, जो दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी सं. 1 से 2 की ओर से छगनलाल दिनांक 20.09.2019 को न्यायालय हाजा मे उपस्थित हुए तथा अपना जवाब प्रस्तुत कर बताया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रार्थी फर्म से भुजिया पेकिट का नमूना लिया गया था जो जांच मे मिसब्राण्ड पाया गया है। प्रार्थी द्वारा भुजिया का निर्माण गुणवता पूर्ण किया गया है। परंतु पेकिंग पर निर्माण की तारीख एवं बेच की सं. स्टाप सिल से लगवाई जाने की व्यवस्था थी। जो उतर जाती अथवा भूलवश अंकित होने से रह गये। अप्रार्थी ने उक्त भूल का सुधार कर पेकिंग पाउच पर निर्माण की तारीख एवं बेच नं. का अंकन नियमित रूप से शुरू कर दिया है। अप्रार्थी द्वारा जानबूझ कर गलती नही की है तथा सदभावी भूल रही है जिसे अब सुधार लिया है। भविष्य मे ऐसी पुनरावृति नही होगी। अप्रार्थी लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर आगे नही चलाना चाहता है। कृपया भूल को माफ करते हुए कार्यवाही / कम से कम शास्ति के आदेश प्रदान करावे।

3. खाद्य सुरक्षा अधिकारी को सुना गया। अप्रार्थीगण जवाब प्रस्तुत करने के पश्चात सुनवाई मे अनुपस्थित रहे है। पत्रावली पर उपल्बध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। अप्रार्थीगण ने अपने जवाब मे नमूना लिया जाना स्वीकार किया है तथा भूल का सुधार करते हुए आईन्दा गलती नही करने हेतु आश्वस्त भी किया गया है। उपरोक्त वर्णित तथ्यों एवं पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात एवं खाद्य विश्लेषक से प्राप्त जांच रिपोर्ट संख्या एलएस 325/एक्ट/2019/379 दिनांक 09.05.2019 के अनुसार खाद्य पदार्थ भुजिया (अमित ब्राण्ड) का नमूना Mis-Branded पाया गया है। अतः अप्रार्थीगण को दोषी करार दिया जाता है। इस प्रकार अप्रार्थीगण द्वारा खाद्य एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (ii) का उल्लंधन करने एवं अपराध कारित करने के फलस्वरूप उक्त अधिनियम की धारा 52 के अन्तर्गत अप्रार्थीगण छगनलाल अग्रवाल पुत्र हरिराम जाति अग्रवाल निवासी बाजरवाडा चौक, नागौर तथा फर्म–मैसर्स हरिराम भुजियावाला, 1 इण्डस्ट्रीयल एरिया, बासनी रोड, नागौर पर संयुक्त रूप से 15,000/– अक्षरे रूपये पन्द्रह हजार शास्ति आरोपित की जाती है। आदेश की प्रति संबंधित खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं संबंधित अप्रार्थी को भिजवाने हेतु अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर को भेजी जावे। अप्रार्थी से उपरोक्त शास्ति राशि वसूल कर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर के कार्यालय में ट्रेजरी चालान के माध्यम से निर्णय तिथि के एक माह के अन्दर जमा करवाई जाकर पालना रिपोर्ट इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। यदि अप्रार्थीगण निर्धारित समयावधि में शास्ति राशि जमा करवाने में असफल रहते है तो अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर इस संबंध में बनाए गए नियमों के अंतगर्त वसूली की कार्यवाही भी सुनिश्चित करेंगे।

4. आदेश लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मनोज कुमार)
अति. जिला मजिस्ट्रेट, नागौर

अति. जिला मजिस्ट्रेट
नागौर (राजस्थान)